कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/13356/विविध आ0–18–2013/2016, **दिनांकः** 28 **फरवरी, 2018**

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध–महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं का आधार कार्ड सहित विवरण संलग्न कर महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करते हुए विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय के पत्रांक **कु0स0–2 स0अ0/12200/01–विविध आ0–18–2013/2017 दिनांक 22 जून, 2017, कु0स0–2 स0अ0/12221/01–विविध आ0–18–2013/2016 दिनांक 22 जून, 2017, कु0स0–2 स0अ0/12946/01–विविध आ0–18–2013/2016 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017** एवं पत्रांक **कु0स0–2 स0अ0/12964/01–विविध आ0–18–2013/2016 दिनांक 02 जनवरी, 2018** द्वारा महाविद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत मानदेय/तदर्थ एवं संविदा प्रवक्ताओं का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर अपलोड किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक **10 जनवरी, 2018 तक** उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में कतिपय महाविद्यालयों द्वारा उदासीनता प्रदर्शित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया जो अनियमितता/आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में अनुमोदित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के डाटा को आधार से लिंक किया जाना अनिवार्य है, जिससे कि ऐसे शिक्षकों का चिन्हांकन किया जा सके जो दो या दो से अधिक महाविद्यालयों में अनुमोदित है।

उपर्युक्त के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अनुमोदित एवं कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं का विवरण उनके आधार कार्ड की सत्यापित **छाया प्रति सहित विलम्बतम् 20 मार्च, 2018 तक** विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराते हुए अपने महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों के अभाव में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय **अधिनियम 1973 की धारा 37 (8)** एवं **(9)** के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यपरिषद को संदर्भित कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन/प्रबंधन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. परीक्षा नियंत्रक, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. **प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी,** को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10849

कुलसचिव